दिनांक 23.10.2013 को माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, राँची की अध्यक्षता में नेपाल हाऊस, राँची के सभाकक्ष में सम्पन्न समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट–I पर (संलग्न)

1. सर्वप्रथम सचिव, महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदया का स्वागत किया गया।

2. माननीय मंत्री महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को सम्बोधित किया गया तथा निम्नांकित निदेश दिये गये :–

(i) वर्षों से चालू योजना कार्यों को पूरा कराया जाय।

(ii) AIBP के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय।

(iii) कार्य के सम्पादन में गति लायी जाय ताकि राज्य के लोगों को जल्द से जल्द योजनाओं से लाभ दिया जा सके।

(iv) माननीय श्रोतों से प्राप्त अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला में कार्यों की स्वीकृति एवं इसके शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जाय।

(v) दिसम्बर 2013 तक सभी स्वीकृत्यादेश निर्गत किये जायें।

3. सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि :–

(i) सुवर्ण रेखा परियोजना के कार्य में प्रगति लाने की आवश्यकता है। तत्काल प्रशासक एवं दोनो मुख्य अभियंता के साथ बैठक करने की आवश्यकता है। मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह के परिक्षेत्र में तेजी से कार्रवाई करने पर नवम्बर–दिसम्बर तक निविदाएँ आमंत्रित की जा सकती है।

(ii) अजय बराज योजना किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाय।

(iii) पुनासी जलाशय योजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने हेतु कार्य तेजी से कराया जा रहा है।

(iv) कोनार सिंचाई परियोजना के कार्यों में तेजी लाई गयी है। अवशेष टनेल निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा नहरों का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है।

(v) केशो एवं भैरवा जलाशय योजना पर शीघ्र कार्य आवश्यक है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अविलम्ब प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय।

(vi) पंचखेरो जलाशय योजना में जल का भंडारण शुरू हो गया है और इस वर्ष जलाशय की पूर्ण क्षमता 350.75 मी० की तुलना में 349.90मी० तक जल स्तर record किया गया।

(vii) नार्थ कोयल परियोजना – अभियंता प्रमुख–I द्वारा बताया गया कि योजना के वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति की कार्रवाई विभागीय प्रक्रियाधीन है।

- योजना के बारे में अभियंता प्रमुख–I द्वारा जानकारी देने के बाद निदेश दिया गया कि नार्थ कोयल परियोजना के संबंध में विस्तार के साथ एक बैठक की जाय।
- पुरानी प्रशासनिक स्वीकृति में राशि बची हुई है। उसके अन्तर्गत योजना कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाय।
- बिहार से अनुरोध किया जाय कि योजना में बिहार के हिस्से का कार्य एवं झारखण्ड के हिस्से का कार्य को अलग–अलग कर दो भागों में अपने–अपने हिस्से की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार कार्य कराया जाय।
- उत्तर कोयल परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मंडल (कुटकु) डैम के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले पलामू टाईगर रिजर्व की वनभूमि के अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के आलोक में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड माननीय उच्चतम न्यायालय तथा वन पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से Clearance प्राप्त करने के लिये संविदा के आधार पर परामर्शी के चयन हेतु Walk in Interview के माध्यम से PWD Code – 2012 की कंडिका 291 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय।

(viii) कनहर परियोजना – Preliminary Report दिया गया है। इस PFR को review के लिये CWC भेज दिया गया है। मोनिटरिंग कमिटी की बैठकें बराबर हो रही है।

(ix) अमानत बराज योजना – अमानत बराज बन गया है। गेट गिरा नहीं है। एफलक्स बाँध बनाने का प्रस्ताव है। इसके सर्वे तथा भू–अर्जन की जमीन चिन्हित करने के कार्य हेतु राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

नहर निर्माण पूरा नहीं हुआ है। करीब 40% कार्य हुआ है।

(x) अपरशंख जलाशय योजना – मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि आउटलेट गेट काम नहीं कर रहा है, उसे turn-key पर ठीक करने हेतु EoI आमंत्रित किया गया है।

- उनके द्वारा बताया गया कि अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला का कार्य संतोषजनक नही है। वितरणियों के कार्य हेतु प्राप्त निविदा का निष्पादन उनके द्वारा

अभी तक नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि मामले का Review कर सभी निविदाओं का निष्पादन कराया जाय।

(xi) सुआली जलाशय योजना – जनावरोध के कारण कार्य नहीं प्रारम्भ हो सका। मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि कार्य नहीं हो पायेगा।

- निदेश दिया गया कि अगर योजना कार्य होने की सम्भावना नहीं है तो एकरारनामा को Close कर दिया जाय।

(xii) रैसा जलाशय योजना – मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि योजना के डूब क्षेत्र में वन विभाग द्वारा मुंडारी खुटकटटी भूमि को वनभूमि होने का दावा किया जा रहा है तथा साथ–साथ ग्रामिणों द्वारा उक्त भूमि पर अपना हक बताया जा रहा है। इस संबंध में संचिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजी गई है।

- विशेष सचिव द्वारा बताया गया कि विशेष भू–अजर्न पदाधिकारी राँची को निदेश दिया गया कि जो भू–भाग वनभूमि नही है उसका भू–अर्जन शीघ्र पूरा किया जाय।
- इस योजना का अलग से Review किया जायेगा।

(xiii) सुरंगी जलाशय योजना – मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि योजना कार्य पूर्ण हो गया है।

(xiv) नकटी जलाशय योजना – मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि योजना कार्य पूर्ण हो गया है।

(xv) पंचखेरो जलाशय योजना – योजना का शीर्ष कार्य पूर्ण है नहरो का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। दाँयीं मुख्य नहर से इस वर्ष खरीफ में सिंचाई भी प्रारम्भ कर दी गयी है।

- अभियंता प्रमुख–I द्वारा बताया गया कि उक्त तीनों सुरंगी, नकटी एवं पंचखेरो जलाशय योजनाओं का उदघाटन कराया जा सकता है।
- निदेश दिया गया कि 15 नवम्बर से 20 नवम्बर के बीच उदघाटन का कार्यक्रम रखा जाय।

बाढ़ प्रक्षेत्र

(xvi) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 द्वारा बताया गया कि साहेबगंज जिले में गंगा नदी से कटाव की रोकथाम के लिये स्थाई समाधान की कार्य योजना का DPR तैयार

करने हेतु EoI आमंत्रित की गयी थी। इस क्रम में एकल निविदा प्राप्त हुई है जिसे रद्द किया जा रहा है।

- निदेश दिया गया कि प्रथम बार प्राप्त एकल निविदा को रद्द कर अविलम्ब पुनः EoI आमंत्रित की जाय।

(xvii) <u>लघु सिंचाई प्रक्षेत्र</u> –

- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा बताया गया कि टण्डवा मध्यम सिंचाई योजना का प्राक्कलन समर्पित कर दिया गया है। देवीपुर मध्य सिंचाई योजना का प्राक्कलन दो दिनों के अन्दर समर्पित कर दी जायेगी।

- अभियंता प्रमुख–II द्वारा बताया गया कि टण्डवा मध्यम सिंचाई योजना का प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के प्रक्रिया में है।

- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका द्वारा बतलाया गया कि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त अनुशंसा एवं स्थल के अनुरूप प्रत्येक जिला में दो अद्द तालाब निर्माण एवं एक अदद आहर की सूची प्राप्त कर DPR तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका द्वारा बतलाया गया कि AIBP अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निदेश के आलोक में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु 200 करोड़ का DPR तैयार कर लिया गया है।

- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका को निदेश दिया गया कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय।

- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा बतलाया गया कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्रवाई हेतु तीन पदाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है।

इस कार्यवाही प्रतिवेदन पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

12/11/13

(अविनाश कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– मु०अ०(मो०)/75/01 1010 **/राँची, दिनांक :–** 12.11.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/ईचा कम्पलेक्स, जमशेदपुर/जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/देवघर/रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, धुर्वा, राँची/यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रक्षेत्र, राँची/दुमका/संयुक्त सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं

मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

ई/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :– मु०अ०(मो०)/75/01.....**/राँची, दिनांक :–** .....

प्रतिलिपि : माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I, के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक :– मु०अ०(मो०)/75/01.....1010.....**/राँची, दिनांक :–** 12.11.2013

प्रतिलिपि :वेब मैनेजर, वेबसाईट, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर up load करने हेतु प्रेषित।

12.11.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता